According to DCP (southeast) Chinmoy Biswal, multiple teams rushed to the spot after the call. The man who had been shot was taken to a hospital in PCR van, but was declared dead on arrival. As forensic officials inspected the crime

The cash van, a Tata Sumo, was found parked at the spot and the cashier, Rao Ramesh, was standing near it. During questioning, he told officers that he worked with a firm called MEP Infra Developers, "According to his statement, he had

the vehicle. He and the guard were headed to their office in Vasant Kunj," Biswal added.

After talking to him and the guard, cops were able to ascertain the sequence of events preceding the gunfire. Apparently, at 10.45am, when

20-25 years entered the cash ingtaken," van from the boot door, which he was able to open with a jerk by sticking in his hand through the rear window.

He tried to snatch the cash bag by sprinkling chilli powder into the cashier's eyes, but

Police said that the car being used to carry the cash was not modified into a cash van and did not have any of the security features. The company officials are also being questioned.

Cab driver held for molesting passenger

Sidharth.Bhardwai @timesgroup.com

New Delhi: A week after a woman was allegedly molested by her cab driver in Dwarka, the accused was arrested.

DCP (Dwarka) Anto Alphonse said that the accused, Ahsan (26), has been sent to 14day judicial custody. The incident, which allegedly happened on Saturday evening, was reported on Tuesday, when the woman went to police. Based on her statement, a molestation case was registered.

In her statement, the 27year-old woman told cops that she had gone to Dwarka sector-12 for work and booked an Uber cab to return home in the evening. The driver who came was different from the person whose credentials were registered with the company. The woman, however, took the cab and sat on the rear seat.

After some time, the driver allegedly told her to come

on the front seat as the pressure in the rear tyre was low. The woman told cops that later, the driver, while being on call with someone started abusing and threatening that person. During this, he allegedly touched the woman inappropriately. When the woman resisted, he initially feigned ignorance and said that he touched her by mistake.

The woman told cops that she also tried contacting the customer support system of the cab aggregator during the ride, but instead of helping her, the officials allegedly told the driver to end the ride there itself and ask the woman to get down from the car.

Uber spokesperson said, "What's been described is unacceptable and has no place on the app. We are already working with law enforcement officials to fully support their investigation and the driver's access to the app has been removed," the company's spokesperson said.

M/S SHRIMAYA BUILDCON PRIVATE LIMITED

Registered Office: K-1, Green Park, New Delhi - 110016 Corporate Office: 10th Floor, Tower-D, Global Business Park, M.G. Road, Gurugram - 122002 www.conscient.in/conscientone

PUBLIC NOTICE

Whereas, Shrimaya Buildcon Pvt. Ltd., K-1, Green Park, New Delhi-110016 is in the process of development of Commercial Colony in Sector-109, Dwarka Expressway, Gurugram over an area measuring 8.6694 acres, in the revenue estate of Pawala Khusropur, in accordance with the provision of License no. 102 of 2008 dated 15.05.2008, 83 of 2014 dated 09.08.2014 & 25 of 2019 dated 25.02.2019, granted by DTCP, Haryana, Chandigarh.

And whereas, several individuals have made bookings/entered into purchase agreement for allotment of shops, office spaces and serviced apartments in the said colony (hereinafter referred as

And whereas, the Building plans earlier approved vide memo no. ZP-484/JD(BS)/2012/20927 dated 19.10.2012, building plan now proposed to be revised Memo No. ZP-484-Vol.-I/AD(RA)/ 2019/11417 dated 09-05-2019 of the Said Commercial colony is now proposed to be revised.

And whereas, the office of Director, Town & Country Planning, Haryana, Chandigarh has required seeking of objection against the revision of Building plans as a pre-condition for allowing such

Accordingly, vide this public notice objections are hereby invited from any of the allottees in the Said Commercial Colony on the proposed revision of the Building plans of the Said Commercial Colony. A copy of the earlier approved Building plans bearing ZP-484/JD(BS)/2012/20927 dated 19.10.2012 & the Building plans now proposed to be revised bearing ZP-484-Vol.-I/AD(RA)/ 2019/11417 dated 09-05-2019 is available for perusal on website www.conscient.in/conscientone. The said Building plans can also be perused at the office of undersigned at Shirmaya Buildcon Pvt. Ltd., 10th Floor, Tower-D. Global Business Park, M.G. Road, Gurugram - 122002 as well as in the office of Senior Town Planner

Any allottee having any objection on the revised layout plan, may file his objection in the office of Senior Town Planner (Planning), Sector-14, Gurugram within 30 days of the publication of this notice, failing which it shall be assumed that there are no objections to the proposed revision in the

Place: Gurugram Date: 11-05-2019

Sanjay Rastogi (Authorised Signatory) Shrimaya Buildcon Pvt. Ltd.

Pai

Tel

><

BLUE BELLS LEGACY CO MORE THAN 50% OF OUR STUDENTS HAVE SECURE

M/S SHRIMAYA BUILDCON PRIVATE LIMITED

Registered Office: K-1, Green Park, New Delhi - 110016
Corporate Office: 10th Floor, Tower-D, Global Business Park, M.G. Road, Gurugram - 122002
www.conscient.in/conscientone

PUBLIC NOTICE

Whereas, Shrimaya Buildcon Pvt. Ltd., K-1, Green Park, New Delhi-110016 is in the process of development of Commercial Colony in Sector-109, Dwarka Expressway, Gurugram over an area measuring 8.6694 acres, in the revenue estate of Pawala Khusropur, in accordance with the provision of License no. 102 of 2008 dated 15.05.2008, 83 of 2014 dated 09.08.2014 & 25 of 2019 dated 25.02.2019, granted by DTCP, Haryana, Chandigarh.

And whereas, several individuals have made bookings/entered into purchase agreement for allotment of shops, office spaces and serviced apartments in the said colony (hereinafter referred as allottees).

And whereas, the Building plans earlier approved vide memo no. ZP-484/JD(BS)/2012/20927 dated 19.10.2012, building plan now proposed to be revised Memo No. ZP-484-Vol.-I/AD(RA)/2019/11417 dated 09-05-2019 of the Said Commercial colony is now proposed to be revised.

And whereas, the office of Director, Town & Country Planning, Haryana, Chandigarh has required seeking of objection against the revision of Building plans as a pre-condition for allowing such revision in the Building plans.

Accordingly, vide this public notice objections are hereby invited from any of the allottees in the Said Commercial Colony on the proposed revision of the Building plans of the Said Commercial Colony. A copy of the earlier approved Building plans bearing ZP-484/JD(BS)/2012/20927 dated 19.10.2012 & the Building plans now proposed to be revised bearing ZP-484-Vol.-I/AD(RA)/2019/11417 dated 09-05-2019 is available for perusal on website www.conscient.in/conscientone. The said Building plans can also be perused at the office of undersigned at Shirmaya Buildcon Pvt. Ltd., 10th Floor, Tower-D, Global Business Park, M.G. Road, Gurugram - 122002 as well as in the office of Senior Town Planner (Planning), Sector-14, Gurugram.

Any allottee having any objection on the revised layout plan, may file his objection in the office of Senior Town Planner (Planning), Sector-14, Gurugram within 30 days of the publication of this notice, failing which it shall be assumed that there are no objections to the proposed revision in the Layout Plan.

Place: Gurugram Date: 11-05-2019 Sanjay Rastogl (Authorised Signatory) Shrimaya Buildcon Pvt. Ltd.





DPaul 5.com

NCL NORWEGIAN

NORWEGIAN'S FREE AT SEA





D SHORE EXCURSIONS CREDIT

राफेल मामले गाइटर प्लेन कोई आभूषांगए जरूरी

@timesgroup.com

■नई दिल्ली : राफेल मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और केंद्र सरकार की ओर से अटॉनीं जनरल केके वेणुगोपाल ने जोरदार दलीलें पेश की। गौरतलब है कि राफेल मामले की जांच की अर्जी 14 दिसंबर 2018 को खारिज हो गई थी जिसके बाद मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि राफेल डील की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए। वहीं अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि मामले में याचिकाकर्ता ने लीक हुए दस्तावेज (उड़ाए गए) के आधार पर पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रखी है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। आइए, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर नजर डालते हैं:

चीफ जस्टिस रंजा वेणुगोपाल पक्षकारों को हम एक-एव लिए दे रहे हैं। एक घंटार में कोई को और अगला एक घंटहै। साथ ही

वकील प्रशांत भूषण गुप्रीमेंट के रखते हए):

केंद्र सरकार ने कई से छुपाए। यह भी पता चढाटॉनी जनरल ने डील में समानांतर बाल्बोले- विश्व में यह गलत है। पहली नजकहीं भी नहीं है (गंभीर किस्म के) अपरक ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक कोर्ट के सामने हैं कि जब भी संज्ञेय आआते हों। मामले में एफआईआर

तर बातचीत

के तहत हम चाहते हैं वि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी चाहा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और में जानना आधारित है। केंद्र सरकामने प्रक्रिया लिफाफे में गलत तथ्य व

बारे में जो किए थे। सरकार ने डील में देया था उसे क्लॉज को कैसे हटा दिन दिन अर्जी उनके जवाब में चुपी क्योंडिंग है। इस

प्रक्रिया में अगर कोई गलती हुई तो भी इस आधार पर रिव्यू नहीं हो सकता। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि नया डील पहले के मुकाबले सस्ते में हुआ है। देश के लोगों की सुरक्षा से जुड़ा ये मामला है और याचिकाकर्ता डील

पर सवाल करना चाहते हैं। एयरक्राफ्ट कोई आभूषण नहीं है। हम सब के प्रोटेक्शन के लिए ये जरूरी है और हमारी ये जरूरत है। विश्व में कहीं भी नहीं है कि ऐसे मामले कोर्ट के सामने आते हों।

चीफ जस्टिस (अटॉर्नी जनरल से): सोवरेन गारंटी पर आपका क्या कहना है?

अटॉर्नी जनरलः रूस और अमेरिका का उदाहरण है जहां गारंटी क्लॉज को डिफेंस प्रक्रिया से हटा दिया

चीफ जस्टिसः हम मामले में फैसला सुरक्षित रखते हैं। केंद्र सरकार को दो हफ्ते का वक्त दिया जाता है अगर उन्हें लिखित दलील पेश करनी हो तो कर सकते हैं।

रेप पीड़िता और आरोपी ने कर ली शादी, हाई कोर्ट ने रद्द की एफआईआर

मुकदमा जारी

रखने का कोई

मतलब नहीं

🔳 भाषा, मुंबई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में पीड़िता की अपील पर प्राथमिकी रह कर दी है। दरअसल, पीडिता का कहना है कि उसने और रेप के आरोपी ने शादी कर ली है और वे खुशी-खुशी एक साथ रह रहे हैं। पीड़िता

के मुताबिक, घरवालों के समझाने-बुझाने के बाद दोनों ने आपसी सहमति से शादी भी कर ली है।

न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने पिछले महीने पारित एक आदेश

में पिछले साल एक महिला द्वारा दर्ज कराई प्राथमिकी रद्द कर दी। महिला ने मुंबई के एक पुलिस थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और धारा 420 के तहत क्रमशः बलात्कार और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे।

पिछले महीने दंपति ने अदालत का रुख करते हुए कहा कि बलात्कार की कथित घटना के समय वे परस्पर सहमति से रिश्ते में थे और महिला



ने व्यक्ति के खिलाफ तब प्राथमिकी दर्ज कराई जब उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अदालत को

बताया कि उनके परिवार के सदस्यों और शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया-बुझाया और आपसी सहमित से विवाद हल कराया। इस साल जनवरी में दोनों ने शादी कर ली।

पीड़िता ने अदालत में कहा कि वह और आरोपी खुशी-खुशी एक साथ रह रहे हैं। मौजूदा परिस्थितियों में पीठ ने कहा कि आरोपी पर मुकदमा जारी रखने का कोई मतलब नहीं होगा।

अयोध्या केस मंगी पॉजिटिव, 15 अएग

🗷 विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

अयोध्या में राम मंदिर बाबरी-मस्जिद जमीन विवाद मामले में मेडियेशन (मध्यस्थता) पैनल को मामला बातचीत के जरिए सलझाने के लिए सप्रीम कोर्ट ने 15 अगस्त तक का वक्त दे दिया है। अदालत ने कहा कि जस्टिस खलीफुल्ला के नेतृत्व वाले मेडियेशन पैनल की रिपोर्ट पेश की गई है। प्रक्रिया पूरी करने के लिए और वक्त मांगा गया है।

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा कि अगर मेडियेटर्स बातचीत के रास्ते पॉजिटिव नतीजों को लेकर उम्मीद में हैं और 15 अगस्त तक का वक्त मांग रहे हैं तो उन्हें समय देने में क्या परेशानी है? यह मामला कई साल से पेंडिंग है। हम क्यों न उनको और वक्त दें। इसके बाद अदालत ने मामला सुलझाने के लिए अब रिपोनी पहले 15 अगस्त तक का वक्त दे दिया। हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों ने मौजूदा मेडियेशन प्रक्रिया के प्रति भरोसा जताया और कहा कि वह इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं। बेंच ने कहा कि हमें 7 मई को रिपोर्ट मिली

एक पक्षकार के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले आठ हफ्ते का वक्त मेडियेशन के लिए दिया और

हो जो ास्जिद गारी के बेटे म कोर्ट न पैनल के के कदम ाम निर्णय ताई। हॅदुओं गलत

कहा कि॥ मे बता विरोध

गोगोई व में हिंदू बेंच अये प्रक्रिया में के रिटा और इसके अगुआई त होने के था। अवामिल हो उनमें अ

पंजिकृत कार्यालयः K-1, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016. कॉर्पोरेट कार्यालयः 10 वीं मंजिल, टॉवर-डी, ग्लोबल बिजनेस पार्क, एम.जी. रोड, गुरूग्राम-122002. www.conscient.in/conscientone

सार्वजनिक सूचना

जबकि, श्रीमाया बिल्डकॉन प्रा. लि. के-A ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016, डीटीसीपी, हरियाणा, वंडीगढ़ द्वारा प्रदत्त लाइसेंस सं. 102/2008 दिनांक 15.05.2008, 83/2014 दिनांक 09.08.2014 एवं 25/2019 दिनांक 25.02.2019 के प्रावधान के अनुरूप पावला खुसरोपुर राजस्व क्षेत्र में 8.6694 एकड़ के क्षेत्रफल पर सेक्टर-109, द्वारका एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम में कॉमर्शियल कॉलोनी के विकास की

और जबकि, कई व्यक्तियों ने चक्त कॉलोनी में दुकानें, कार्यालय स्थान और सेवित आपार्टमेंट के आवंटन के लिए खरीद करार का निष्पादन किया है। (इसके बाद आवंटी नाम से संदर्भित)

और जबकि उक्त कॉमर्शियल कॉलोनी का मेमो सं. ZP-484/JD(BS)/2012/20927 दिनांक 19.10.2012 द्वारा पूर्व अनुमोदित बिल्डिंग प्लान, मेमो सं. ZP-484-Vol.-I/AD(RA)/2019/11417 दिनांक 08.05.2019 द्वारा संशोधन के लिए प्रस्तावित बिल्डिंग प्लान का संशोधन

और जबकि, निदेशक कार्यालय, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा, चंडीगढ़ ने बिल्डिंग प्लान में इस संशोधन की अनुमति देने की पूर्व शर्तों के रूप में बिल्डिंग प्लान्स के संशोधन के विरुद्ध आपत्तियां मंगाई हैं।

तदनुसार, उक्त कॉमर्शियल कॉलोनी के बिल्डिंग प्लान के प्रस्तावित संशोधन पर उक्त कॉमर्शियल कॉलोनी के आवंटियों से इस सार्वजनिक सूचना द्वारा आपत्तियां आमंत्रित हैं। पूर्व में अनुमोदित विल्डिंग प्लान ZP-484/JD(BS)/2012/20927 दिनांक 19.10.2012 एवं अव संशोधन के लिए प्रस्तावित विल्डिंग प्लान ZP-484-Vol.-I/AD(RA)/2019/11417 दिनांक 09.05.2019 अध्ययन हेतु वेबसाइट www.conscient.in/conscientone पर उपलब्ध हैं । उक्त बिल्डिंग प्लान्स अघोहस्ताहरी के कार्यालय श्रीमाया बिल्डकॉन प्रा. लि., 10 वां तल, टॉवर— डी, ग्लोबल बिजनेस पार्क, एम.जी. रोड, गुरुग्राम—122002 एवं इसके साथ ही वरिष्ठ टाउन प्लानर सेक्टर—14, गुरुग्राम में देखा

कोई भी आवंटी जिन्हें संशोधित लेआउट प्लान पर किसी प्रकार की आपत्ति हो, इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, वरिष्ठ टाउन प्लानर (योजना), सेक्टर-14, गुरुग्राम के कार्यालय में उस आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं । अन्यथा यह समझा जाएगा कि लेआउट प्लान के प्रस्तावित संशोधन में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

स्थानः गुरूग्राम दिनांकः 11.05.2019 संजय रस्तोगी (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) श्रीमाया विल्डकोन प्रा. लि.